दीपक सिब्बल से पहले जे.

प्रकाश गुरबक्शानी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक निदेशक और अन्य-प्रतिवादियों के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय

2021 का सीआरएम-एम नंबर 12901

02 जून, 2021

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973-एस.439- धन शोधन निवारण अधिनियम, एस.एस. 3,4, 45-हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और विनियमन, 1975, धारा 10-भारतीय दंड संहिता, 1860- धारा 420- धन शोधन के अपराध- नियमित जमानत- जमानत देने के लिए दोहरी शर्तें- धारित, के लिए दोहरी शर्तें निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ और अन्य (2018) 11एससीसी 1 के आधार पर जमानत देने को नजरअंदाज किया जा सकता है और जमानत याचिकाओं पर धारा 439 सीआरपीसी, 1973 के तहत विचार किया जाना आवश्यक है।

माना गया कि जब पीएमएलए अधिनियम की मूल धारा 45(1)(ii) में दोहरी शर्तों पर कोई रोक नहीं है, तो वर्तमान आवेदन पर शर्तों के साथ या बिना शर्तों के आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत विचार और निर्णय लिया जाना चाहिए।

(20 के लिए)

2021 के याचिकाकर्ता सीआरएम-एम-12901 के लिए विनोद घई, वरिष्ठ अधिवक्ता, केशव प्रताप सिंह, अधिवक्ता, कनिका आहूजा, अधिवक्ता, कीर्ति आहूजा, अधिवक्ता और एडवर्ड ऑगस्टीन जॉर्ज, अधिवक्ता।

सीआरएम-एम-12459-2021 में याचिकाकर्ता के लिए मानव गुप्ता, अधिवक्ता, अभिनव सूद, अधिवक्ता, साहिल गर्ग, अधिवक्ता, ईशा दत्ता, अधिवक्ता।

एस.वी.राजू, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

नितेश राणा, अधिवक्ता, ज़ोहेब हुसैन, अधिवक्ता, शोबित फूटेला, अधिवक्ता,

शौर्य राय, अधिवक्ता,

प्रकाश गुरबक्शानी और अन्य। सहायक निदेशक और अन्य के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय (दीपक सिब्बल, जे.)

प्रतिवादी की ओर से गुंटूर प्रमोद, अधिवक्ता, अंशुमान सिंह, अधिवक्ता और अग्नि सेन, अधिवक्ता।

दीपक सिब्बल, जे.

(1) यह आदेश सीआरएम-एम-12901ऑफ 2021 प्रकाश गुरबक्सानी बनाम प्रवर्तन निदेशालय और सीआरएम एम-12459-2021 - अशोक सोलोमन बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय नामक दो याचिकाओं का निपटारा करेगा, जिनमें से दोनों के लिए दायर किया गया है। एफआईआर संख्या 291 से उत्पन्न धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में पीएमएलए) की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज मामले संख्या ईसीआईआर/01/एचआईयू/2019 दिनांक 25.01.2019 में नियमित जमानत देना दिनांक 13.12.2018 को हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 (संक्षेप में - 1975 अधिनियम) की धारा 10 और आईपीसी की धारा 420 के तहत पुलिस स्टेशन बजघेरा, जिला गुरुग्राम में पंजीकृत किया गया।

(2) संक्षेप में कहा गया है, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 31.03.2007 को, चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड (लघु चिंटेल्स के लिए), जिसके पास गुरुग्राम में 149.093 एकड़ भूमि थी, ने निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा (संक्षेप में) को आवेदन किया था। - डीटीसीपी) आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए 1975 अधिनियम के तहत लाइसेंस देने के लिए। इसके बाद, 28.03.2008 को, चिंटेल्स और क्यूवीसी रियल्टी कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में क्यूवीसी के लिए), उपरोक्त भूमि के समनुदेशकों ने, उपरोक्त भूमि को बिक्री योग्य क्षेत्र साझाकरण के आधार पर विकसित करने के लिए सोभा लिमिटेड (संक्षेप में - सोभा) के साथ एक समझौता किया। और लाइसेंस देने के लिए उपरोक्त आवेदन के समर्थन में, डीटीसीपी के समक्ष ऐसा समझौता दायर किया। आवेदन पर अनुकूल विचार करने पर, 22.11.2008 को चिंटेल्स और डीटीसीपी ने एक समझौता किया, जिसके आधार पर चिंटेल्स के पक्ष में नंबर 190/2008दिनांक 24.11.2008 का लाइसेंस जारी किया गया। समझौते की प्रासंगिक शर्तों के अनुसार, जिस पर लाइसेंस आधारित था, चिंटेल्स को विकसित आवासीय भूखंडों का 25% 'नो प्रॉफिट नो लॉस (संक्षेप में - एनपीएनएल) के आधार पर आरक्षित करना आवश्यक था। पार्टियों के बीच इस बात पर सहमति हुई कि एनपीएनएल भूखंडों का 75% पंजीकृत आवेदकों को ड्रा के माध्यम से आवंटित किया जाएगा (यदि आवश्यक हो) और शेष 25% विदेशी मुद्रा के बदले अनिवासी भारतीयों को आवंटित किया जाएगा; भूमि मालिक जिनकी भूमि चिंटल्स द्वारा कॉलोनी स्थापित करने के लिए खरीदी गई थी; छोटी-छोटी जगहों पर पड़ने वाले भूखंड जिन्हें बाद में चिंटेल्स द्वारा पहले से ही एक कॉलोनी के रूप में विकसित क्षेत्र के हिस्से के रूप में उपनिवेशवादियों द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है

और ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें चिंटेल्स अपने विवेक से पसंद कर सकता है (बशर्ते कि ऐसा आवंटन एनपीएनएल भूखंडों की कुल संख्या का 5% से अधिक न हो)।

(3) क्रमशः 3.947 एकड़ और 13.375 एकड़ के लिए क्रमांक 58/2013 और 79/2014 वाले दो अन्य लाइसेंस, जिनमें एनपीएनएल भूखंडों को आरक्षित करने और आवंटित करने के संबंध में समान शर्तें शामिल थीं, भी चिंटेल्स द्वारा प्राप्त किए गए थे।

(4) चिंटेल्स द्वारा प्राप्त लाइसेंस और चिंटेल्स के बीच सहयोग/विकास समझौतों के बल पर। सोभा और क्यूवीसी, भूमि, जो लाइसेंस के अंतर्गत कवर की गई थी और सेक्टर 106, 108 और 109, गुरुग्राम में स्थित थी, को 'इंटरनेशनल सिटी' के नाम से एक आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाना शुरू किया गया था।

(5) 10.12.2018 को डीटीसीपी ने स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन गांव बजघेरा, जिला गुरुग्राम को लिखा, जिसके माध्यम से पुलिस को सूचित किया गया कि लाइसेंस के समझौते/शर्तों के अनुसार चिंटेल्स को 249 एनपीएनएल भूखंडों को आरक्षित और आवंटित करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, यह पाया गया कि केवल 84 एनपीएनएल भूखंड आवंटित किए गए थे और इन 84 भूखंडों में से 55 शोभा द्वारा सीमित देयता भागीदारी (शॉर्ट-एलएलपी के लिए) को शोभा द्वारा ही आवंटित किए गए थे। इस प्रकार, एनपीएनएल भूखंडों को वस्तुतः खुद को आवंटित करके, सोभा, चिंटेल्स और क्यूवीसी ने धोखाधड़ी की साजिश रची थी और लाइसेंस/समझौते की शर्तों का भी उल्लंघन किया था। इसलिए, पुलिस से 1975 अधिनियम की धारा 10 के तहत चिंटेल्स, सोभा, क्यूवीसी और एलएलपी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

(6) उपरोक्त शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 420 और 1975 अधिनियम की धारा 10 के तहत एफआईआर संख्या 291 पुलिस स्टेशन बजघेरा, जिला गुरुग्राम में दर्ज की गई थी और उपरोक्त एफआईआर का अध्ययन करने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (संक्षेप में ईडी) के बाद से) माना जाता है कि धन शोधन का अपराध भी किया गया था, 25.01.2019 को, ईडी ने पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट संख्या ईसीआईआर/01/एचआईयू/2019 (संक्षेप में - ईसीआईआर) दर्ज की और ने अपनी जांच शुरू कर दी है.

(7) हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में की गई जांच से पता चला कि आरोपी समझौते/लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के दोषी थे, लेकिन उन्होंने आईपीसी की धारा 420 के तहत कोई अपराध नहीं किया था। तदनुसार, हरियाणा पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दर्ज की। उसमें मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है

आरोपी केवल 1975 अधिनियम की धारा 10 के तहत।

(8) चूंकि हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. में आरोपी हैं

अब आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा रहा था, जो कि पीएमएलए के तहत एकमात्र अनुसूचित अपराध था, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाया गया था, चिंटेल्स ने WP (CRL) 979-2020 मेसर्स चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड बनाम के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। भारत संघ ईसीआईआर को रद्द करने की मांग कर रहा है। ऐसी याचिका का निपटारा 07.08.2020 को इस निर्देश के साथ किया गया कि चूंकि उस स्तर पर विवादित ईसीआईआर पीएमएलए के तहत किसी भी अनुसूचित अपराध के बिना था, इसलिए इसे बंद माना जाएगा। हालाँकि, ईडी को पूरक आरोप पत्र दाखिल करने और/या आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में ईसीआईआर को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिन पर पीएमएलए के तहत किसी भी अनुसूचित अपराध के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।

(9) 20.08.2020 को हरियाणा पुलिस ने धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत पूरक आरोप पत्र दायर किया। जिसके माध्यम से अन्य बातों के साथ यह आरोप लगाया गया कि योग्यता लाइसेंस संख्या 58/2013 और 79/2014 चिंटेल्स ने लाभार्थी हित/संयुक्त विकास अधिकारों में बदलाव के लिए डीटीसीपी से कोई अनुमति नहीं ली थी और चूंकि ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए शुल्क की आवश्यकता होती थी। भुगतान किया गया, जो अवैतनिक रहा, सरकार को वित्तीय हानि हुई जिसके परिणामस्वरूप जनता के साथ-साथ हरियाणा राज्य के साथ भी धोखाधड़ी हुई। तदनुसार, 1975 अधिनियम की धारा 10 के अलावा, आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420 के तहत भी मुकदमा चलाने की मांग की गई। ऐसी घटना घटित होने पर, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में, ईडी ने ईसीआईआर को पुनर्जीवित किया और फिर से अपनी जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप चिंटेल्स, क्यूवीसी और पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की गई। याचिकाकर्ता, जो क्रमशः क्यूवीसी और चिंटेल्स के प्रबंध निदेशक हैं, पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं। उक्त शिकायत में अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया था कि लाइसेंस संख्या 190/2008 के तहत 212 एनपीएनएल भूखंडों को डीटीसीपी द्वारा लेआउट योजना में मंजूरी दी गई थी, लेकिन सोभा, चिंटेल्स और क्यूवीसी ने केवल 93 ऐसे भूखंड आवंटित किए और इन 93 भूखंडों में से शोभा ने ने उनमें से 59 सोभा द्वारा बनाए गए एलएलपी को आवंटित कर दिए थे। सोभा द्वारा एलएलपी के गठन का उद्देश्य धोखाधड़ी से एनपीएनएल भूखंडों के स्वामित्व को अपने पास रखना था, साथ ही कागज पर यह दिखाने का बेईमान इरादा था कि इन भूखंडों को डीटीसीपी द्वारा निर्धारित दरों पर एनपीएनएल भूखंडों के रूप में विभिन्न पार्टियों को आवंटित किया गया था। इसके बाद सोभा ने इन 59 भूखंडों पर विला का निर्माण किया, ताकि उन्हें सामान्य श्रेणी के तहत बेचे जाने वाले विला के बराबर दरों पर बेचा जा सके। जहां तक चिंटेल्स और क्यूवीसी का सवाल है, उन पर आरोप था कि उन्होंने शोभा के माध्यम से क्रमशः 18 और 16 एनपीएनएल भूखंडों पर विला का निर्माण कराया और फिर इन विलाओं को उनके बराबर या उससे भी अधिक दरों पर बेच दिया।

सामान्य श्रेणी के तहत बेचे गए विला की दरें और इस तरह उन्होंने क्रमशः 50 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। जब ऐसे विला का खरीदार दस्तावेज़ीकरण के लिए चिंटेल्स और क्यूवीसी के पास आया, तो ऐसे खरीदार को पहले एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, जो दिखाएगा कि पहले के समय में उसे डीटीसीपी द्वारा निर्धारित दर पर एनपीएनएल प्लॉट आवंटित किया गया था और इसके बाद उसने सोभा के माध्यम से एक विला के निर्माण की मांग की थी। क्रेता से ऐसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने डीटीसीपी द्वारा निर्धारित दर पर भूमि की कीमत को बिक्री/कन्वेयंस डीड में शामिल किया और अंतिम बिक्री तक पहुंचने के लिए निर्माण की लागत को तदनुसार बढ़ा दिया। वह कीमत जो सामान्य श्रेणी के तहत बेचे गए विला की कीमत के बराबर या उससे भी अधिक थी।

(10) शोभा, चिंटेल्स और क्यूवीसी के परिसरों पर ईडी द्वारा की गई तलाशी अभियान के दौरान कथित तौर पर कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, जिनमें सोभा द्वारा चिंटेल्स/क्यूवीसी को 220 करोड़ रुपये से अधिक की रकम दिखाने वाले दस्तावेज शामिल हैं, जिसमें 120 रुपये भी शामिल हैं। लाइसेंस जारी होने से बहुत पहले सोभा द्वारा चिंटेल्स/क्यूवीसी को गैर-वापसीयोग्य जमा राशि के रूप में करोड़ों रुपये (लगभग) का भुगतान किया गया था।

(11) याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है; याचिकाकर्ता 16.02.2021 से हिरासत में हैं; दोनों याचिकाकर्ताओं से ईडी पहले ही दस से अधिक मौकों पर पूछताछ कर चुकी है और इस तरह की पूछताछ के दौरान उन्होंने जांच एजेंसी के साथ उचित सहयोग किया है; चूंकि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत पूरक रिपोर्ट भी आ चुकी है। / पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की गई है, याचिकाकर्ताओं को न तो जांच उद्देश्यों के लिए अभियोजन पक्ष की आवश्यकता है और न ही वे जांच को प्रभावित करने की किसी भी स्थिति में हैं; अभियोजन का पूरा मामला उन दस्तावेजों पर आधारित है जो ईडी द्वारा दोनों याचिकाकर्ताओं के परिसरों पर की गई कई छापेमारी के दौरान पहले ही जब्त किए जा चुके हैं, दोनों याचिकाकर्ताओं की क्रमशः 50 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां हैं। ईडी द्वारा पहले ही जब्त किया जा चुका है; ईसीआईआर स्वयं पीएमएलए के तहत एकमात्र अनुसूचित अपराध के रूप में अवैध है जिस पर ईसीआईआर निर्भर करता है। आईपीसी की धारा 420 नहीं बनाई गई है क्योंकि आईपीसी की धारा 420 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के आरोप चिंटेल्स और डीटीसीपी के बीच समझौते/लाइसेंस की शर्तों के कथित उल्लंघन पर आधारित हैं, जिसका उल्लंघन विशेष रूप से 1975 अधिनियम की धारा 10 के तहत आता है; यहां तक कि डीटीसीपी द्वारा दर्ज की गई प्रारंभिक शिकायत में भी, जो हरियाणा पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने का आधार बनी, एकमात्र

प्रकाश गुरबक्शानी और अन्य। सहायक निदेशक और अन्य के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय (दीपक सिब्बल, जे.)

उसमें आरोप था कि आरोपियों ने समझौते/लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसलिए उनके खिलाफ 1975 अधिनियम की धारा 10 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए; 1975 अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन जमानती है क्योंकि इसमें कारावास की सजा का प्रावधान है जिसे जुर्माने के साथ तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है; हरियाणा पुलिस द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 420 के तहत केवल इस आधार पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है कि लाइसेंस नंबर 58/2013 और 79/2014 चिंटेल्स ने लाभार्थी हित में बदलाव के लिए डीटीसीपी से पूर्व अनुमति नहीं ली थी। / संयुक्त विकास अधिकार जिससे सरकार को वित्तीय हानि हुई थी जिसकी अनुमति ली जा चुकी है; ऐसी अनुमति लेने में देरी के लिए डीटीसीपी दिनांक 01.04.2016 के आदेश के अनुसार लागू प्रशासनिक शुल्क पहले ही चिंटेलसैंड द्वारा जमा कर दिया गया है, इस प्रकार याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी भी व्यक्ति/प्राधिकरण को कोई गलत नुकसान नहीं हुआ है; डीटीसीपी सहित कोई भी शिकायतकर्ता नहीं है, जिसने यह भी आरोप लगाया हो कि याचिकाकर्ताओं ने कोई धोखाधड़ी की है; ईडी द्वारा पुलिस रिमांड की मांग करने वाली प्रार्थना को ट्रायल कोर्ट द्वारा बार-बार खारिज कर दिया गया है और किसी भी मामले में डीटीसीपी द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर एनपीएनएल भूखंडों की बिक्री के संबंध में समझौते/लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है। परियोजना के पूरा होने के समय 1975 अधिनियम की धारा 3(7) के तहत समझौता योग्य, जिस चरण तक पहुंचना अभी बाकी है।

(12) याचिकाकर्ता, जो दोनों वरिष्ठ नागरिक हैं, क्रमशः 61 और 75 वर्ष की आयु के हैं, उन्होंने देश में बढ़ते मामलों के कारण कोविड-19 महामारी के कारण उभरती स्थिति को देखते हुए जमानत की मांग की है। इसके अलावा सीआरएम-एम-12459-2021 में याचिकाकर्ता का दावा है कि वह हृदय रोग से पीड़ित है और उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है।

(13) भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने वर्तमान याचिकाओं को खारिज करने की मांग की और प्रस्तुत किया कि चूंकि वह याचिकाकर्ताओं को जमानत देने का विरोध कर रहे थे, पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित जुड़वां शर्तों के संदर्भ में, यह अदालत उन्हें जमानत दे सकती है। याचिकाकर्ताओं की संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि याचिकाकर्ता कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं थे और जमानत पर रहने के दौरान उनके कोई अपराध करने की संभावना नहीं थी; हालाँकि निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ और पीएमएलए की एक अन्य धारा 45(1) को, जैसा कि तब था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस दोष की ओर इशारा किया, उसने इसका गठन किया

_____

(2018) 11 एससीसी 1

धारा 45(1) को असंवैधानिक घोषित करने का आधार विधानमंडल द्वारा 2018 के अपने अधिनियम संख्या 13 के माध्यम से ठीक कर दिया गया था जो 19.04.2018 से लागू हुआ; 2018 के अधिनियम संख्या 13 के अनुसार अपमानजनक अभिव्यक्ति "अनुसूची के भाग ए के तहत तीन साल से अधिक की कारावास की सजा" को "इस अधिनियम के तहत" के साथ प्रतिस्थापित किया गया है; उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर पीएमएलए की धारा 45(1) के तहत निर्धारित जुड़वां शर्तें पुनर्जीवित हो गईं: पीएमएलए की संशोधित धारा 45(1) को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ यह न्यायालय भी इसके लिए बाध्य है। नागालैंड वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य बनाम नागालैंड राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में, इसमें निर्धारित उपरोक्त जुड़वां शर्तें, एक क़ानून को सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने तक संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है; मोलर मल (मृत) में एल.आर. के माध्यम से। बनाम मैसर्स. के आयरन वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जहां किसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी गई है, ऐसे प्रावधान अदालत को बाध्य करेंगे; आशुतोष गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी कि जहां किसी वैधानिक प्रावधान को चुनौती दी जाती है, तो याचिका में आरोप विशिष्ट, स्पष्ट और सुस्पष्ट होने चाहिए और यह कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में एक धारणा होनी चाहिए, जिस पर बोझ हो। वह व्यक्ति जो यह दिखाने के लिए प्रावधान पर हमला करता है कि यह असंवैधानिक है; दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपेन्द्र राय बनाम प्रवर्तन निदेशालय और डॉ. शिविंदर मोहन सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मामले में कहा कि 2018 का अधिनियम 13 पीएमएलए की धारा 45(1) में निहित जमानत देने की जुड़वां शर्तों को पुनर्जीवित या पुनर्जीवित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों पर रोक लगा दी गई है।

(14) याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई दलील का जवाब देते हुए कि वर्तमान मामले में आईपीसी की धारा 420 लागू नहीं होती है, विद्वान एएसजी ने तर्क दिया कि राज्य पुलिस द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में याचिकाकर्ताओं पर धारा 420 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई है। आईपीसी; ऐसे आरोप पत्र को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है; किसी भी मामले में, याचिकाकर्ताओं ने बेईमानी से काम किया है

(2010) 7 एससीसी 643

(2000) 4 एससीसी 285

(2002) 4 एससीसी 34

(2019) एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 9086

2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 766

प्रकाश गुरबक्शानी और अन्य। सहायक निदेशक और अन्य के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय (दीपक सिब्बल, जे.)

चिंटेल्स और डीटीसीपी के बीच अनुबंध की शर्तों का पालन न करके धोखाधड़ी से, क्योंकि उन्होंने आवंटन के लिए एनपीएनएल भूखंड आरक्षित नहीं किए थे; बल्कि, याचिकाकर्ताओं ने एनपीएनएल भूखंडों पर विला का निर्माण किया और इन विलाओं को सामान्य श्रेणी के तहत बेचे गए विला की तुलना में समान या अधिक दरों पर बेचा; एनपीएनएल भूखंडों पर निर्मित विला के क्रेता के पक्ष में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के समय, याचिकाकर्ताओं ने क्रेता से यह दिखाने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा कि उसे पहले के समय में एनपीएनएल भूखंड आवंटित किया गया था और इसके बाद आवंटन वह चाहता था कि ऐसा प्लॉट याचिकाकर्ताओं की पसंद के डेवलपर द्वारा विकसित किया जाए; इसके बाद, स्थानांतरण विलेख में याचिकाकर्ताओं ने जमीन की बिक्री मूल्य से संबंधित कॉलम में एनपीएनएल भूखंडों के लिए डीटीसीपी द्वारा निर्धारित कीमत लिखी और ऐसे भूखंड के लिए जमीन की कम कीमत को समायोजित करने के लिए निर्माण की लागत को बढ़ा दिया; एनपीएनएल श्रेणी के तहत किए जाने वाले आवंटन से आम जनता का कोई भी व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो सका: यह सब याचिकाकर्ताओं के कपटपूर्ण कृत्यों और उनके लालच के कारण था; जांच में शामिल होने के दौरान याचिकाकर्ता हमेशा टाल-मटोल/असहयोग करते रहे हैं और चूंकि याचिकाकर्ताओं की जेबें गहरी हैं, अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उनके मुकदमे की प्रक्रिया को प्रभावित करने की संभावना है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर आईपीसी की धारा 420 की प्रयोज्यता के संबंध में विद्वान एएसजी ने तुलसी राम आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया।

"17. लेकिन, धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध में एक आर्थिक प्रश्न आवश्यक रूप से उठता है। आईपीसी की धारा 464 के पहले भाग में प्रावधान है कि एक व्यक्ति को गलत दस्तावेज बनाने के लिए कहा जाता है जो बेईमानी से या धोखाधड़ी से किसी विशेष दस्तावेज पर हस्ताक्षर आदि करता है। इरादा और ऐसे कार्य जो बेईमान हैं और जो कार्य कपटपूर्ण हैं, दोनों के मामलों को कवर करता है। जहां कोई आर्थिक प्रश्न नहीं उठता है, बेईमानी के तत्व को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है और यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा कि कार्य कपटपूर्ण था और इसलिए, यह हो सकता है, जैसा कि विद्वान न्यायाधीश ने माना है कि जहां कोई कार्य कपटपूर्ण है, वहां धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचाने का इरादा स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन जहां आरोप है कि एक व्यक्ति ने बेईमानी से दूसरे को संपत्ति छोड़ने के लिए प्रेरित किया है, वहां कुछ अलग बात पर विचार किया जाना चाहिए और वह है क्या उसने ऐसा कोई कारण बनाया है

एआईआर 1963 एससी 666

उस व्यक्ति को गलत हानि जिसने संपत्ति से नाता तोड़ लिया हो या स्वयं को गलत लाभ कमाया हो। बेईमानी की परिभाषा के ये दो पहलू हैं और ये इनमें से किसी एक के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए काफी हैं. कानून की आवश्यकता नहीं है कि दोनों को स्थापित किया जाए।"

(15) वर्ष 2002 में संसद द्वारा अधिनियमित पीएमएलए में धारा 45(1) शामिल थी जो इस प्रकार है:-

"धारा 45. अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

(1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, अनुसूची के भाग ए के तहत तीन साल से अधिक की कारावास की सजा वाले अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या रिहा नहीं किया जाएगा। उसका अपना बंधन जब तक-

(1) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से कम आयु का है, या एक महिला है या बीमार या अशक्त है, को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश दे:

बशर्ते कि विशेष न्यायालय धारा 4 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा की गई लिखित शिकायत के अलावा नहीं लेगा-

(1) निदेशक; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में उस सरकार द्वारा दिए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो।"

(16) उपरोक्त उद्धृत प्रावधान में पीएमएलए से जुड़ी अनुसूची के भाग ए के तहत तीन साल से अधिक कारावास की सजा वाले अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से पहले दो शर्तें लगाई गई हैं। ये शर्तें थीं कि जमानत देने से पहले लोक अभियोजक को जमानत की याचिका का विरोध करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था और जहां लोक अभियोजक ने ऐसी याचिका का विरोध किया था, अदालत उसे रिहा करने का आदेश दे सकती थी।

प्रकाश गुरबक्शानी और अन्य। V. सहायक निदेशक और अन्य के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय (दीपक सिब्बल, जे.)

आरोपी को जमानत पर केवल इस संतुष्टि को दर्ज करने के बाद ही दिया जाता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि रिहा किया जाने वाला व्यक्ति उस अपराध का दोषी नहीं है जिसका उस पर आरोप लगाया गया था और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(17) जमानत देने के लिए जुड़वां शर्तें लगाने वाले उपरोक्त उद्धृत प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर निकेश ताराचंद शाह के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सवाल उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि जमानत पर रिहाई के लिए निर्धारित जुड़वां शर्तें थीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करते हुए, पीएमएलए की धारा 45(1) को उस हद तक असंवैधानिक घोषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:-

"54. उपरोक्त के संबंध में, हम धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45(1) को असंवैधानिक घोषित करते हैं, जहां तक यह जमानत पर रिहाई के लिए दो अतिरिक्त शर्तें लगाती है, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है। भारत का संविधान। हमारे समक्ष वे सभी मामले जिनमें धारा 45 में निहित दोहरी शर्तों की उपस्थिति के कारण जमानत देने से इनकार कर दिया गया है, अब उन संबंधित न्यायालयों में वापस जाएंगे जिन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया था। ऐसे सभी आदेश रद्द किए जाते हैं, और 2002 अधिनियम की धारा 45 में निहित जुड़वां शर्तों को लागू किए बिना, योग्यता के आधार पर सुनवाई के लिए संबंधित न्यायालयों को भेजे गए मामले। यह ध्यान में रखते हुए कि व्यक्ति जेल में बंद हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है, इन सभी मामलों को उठाया जाना है नए फैसले के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा जल्द से जल्द। रिट याचिकाओं और अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"

(18) 2018 के अधिनियम 13 द्वारा पीएमएलए की धारा 45(1) को प्रभावी ढंग से समाप्त करने की मांग की गई थी। 19.04.2018. इस तरह के संशोधन के माध्यम से निकेश ताराचंद शाह के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले धारा 45 (1) में आने वाले शब्दों "अनुसूची के भाग ए के तहत तीन साल से अधिक की कारावास की सजा के लिए दंडनीय" को प्रतिस्थापित किया गया था। शब्द "इस अधिनियम के तहत"। विद्वान एएसजी के अनुसार, इस तरह के संशोधन के बाद, जिस दोष के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 45(1) को असंवैधानिक घोषित किया था, वह ठीक हो गया और परिणामस्वरूप धारा 45(1) में निर्धारित जुड़वां शर्तें पुनर्जीवित हो गईं।

(19) निकेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषणा

ताराचंद शाह का मामला (सुप्रा) किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए पीएमएलए की धारा 45(1) में निर्धारित दोनों शर्तों को पूरी तरह से शून्य बना देगा; किसी भी कानूनी बल की शुरुआत से ही ऐसी शर्तों की उपेक्षा की जानी चाहिए; वे कानून नहीं रह जाते; उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है और उन्हें ऐसे माना जाएगा जैसे कि उन्हें कभी अधिनियमित ही नहीं किया गया हो। ऐसा होने पर, पीएमएलए की धारा 45(1) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तें, जिन्हें अब ईडी द्वारा सेवा में लाने की मांग की गई है, को केवल "दंडनीय" शब्दों के संभावित प्रतिस्थापन पर पुनर्जीवित या पुनर्जीवित नहीं माना जा सकता है। अनुसूची के भाग ए के तहत "इस अधिनियम के तहत" शब्दों के साथ तीन साल से अधिक की कारावास की सजा, विशेष रूप से जमानत देने की जुड़वां शर्तों के संबंध में कोई संशोधन किए बिना, जिसे विशेष रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया था इस संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी वैधीकरण कानून के अभाव में भी।

(20) 2018 के जमानत आवेदन संख्या 286 समीर एम. भुजबल बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय और अन्य में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 06.06.2018 के एक आदेश के माध्यम से, ईडी की ओर से उठाई गई एक समान आपत्ति पर विचार किया गया और निरस्त कर दिया गया। निम्नलिखित अवलोकनों के माध्यम से:-

"9. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि, पीएमएलए अधिनियम की धारा 45(1) में संशोधन के बाद, "इस अधिनियम के तहत" शब्द पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) में जोड़े गए हैं। हालांकि, मूल धारा 45(1)(ii) को उक्त संशोधित अधिनियम द्वारा पुनर्जीवित या पुनर्जीवित नहीं किया गया है। आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उक्त तथ्य स्थिति के बारे में विवाद नहीं कर रहे हैं और वास्तव में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। वही। यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, यहां तक कि 29.3.2018 की अधिसूचना भी पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 (1) में संशोधन करती है, जो 19.4.2018 से लागू हुई, इसकी पूर्वव्यापी प्रयोज्यता के बारे में मौन है।

इसके मद्देनजर, विद्वान ए.एस.जी. द्वारा तर्क आगे बढ़ाया गया। स्वीकार नहीं किया जा सकता. यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, मूल उप-धारा 45(1)(ii) को संशोधन अधिनियम द्वारा न तो पुनर्जीवित किया गया है और न ही पुनर्जीवित किया गया है और इसलिए, आज तक मूल धारा 45 के तहत उक्त दो अतिरिक्त शर्तों की कोई कठोरता नहीं है। (1)(ii) पीएमएलए अधिनियम के तहत उक्त अधिनियम के तहत आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जब जुड़वाँ की कोई रोक नहीं है

प्रकाश गुरबक्शानी और अन्य। सहायक निदेशक और अन्य के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय (दीपक सिब्बल, जे.)

पीएमएलए अधिनियम की मूल धारा 45(1)(ii) में निहित शर्तों के अनुसार, वर्तमान आवेदन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत शर्तों के साथ या बिना शर्तों के विचार और निर्णय लिया जाना चाहिए। समीर एम. भुजबल के मामले (सुप्रा) पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25.03.2020 के अपने फैसले में दीपक वीरेंद्र कोचर बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य के जमानत आवेदन संख्या 1322 में दिए गए फैसले पर विचार किया और उसका पालन किया। इस संबंध में प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

38. प्रश्न यह है कि निकेश शाह (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिस प्रावधान को संवैधानिक माना गया था, वह अधिनियम की धारा 45 में संशोधन के मद्देनजर पुनर्जीवित हो गया है। समीर भुजबल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं की इस दलील को खारिज कर दिया है कि सरकार वित्त अधिनियम, 2018 में एक संशोधन लेकर आई है, जो 19.04.2018 से पीएमएलए की धारा 45 (1) में लागू हो गया है, जिसमें कुछ शब्द शामिल किए गए हैं। अधिनियम की धारा 45 (1) में "इस अधिनियम के तहत"। संशोधन के मद्देनजर, धारा 45(1) की मूल उप-धारा (ii) जो उक्त जुड़वां शर्तें लगाती है, स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाती है और इसलिए उक्त शर्त क़ानून की किताब में बनी रहती है। मूल धारा 45(1)(ii) का अनुमान लगाया जाना चाहिए और माना जाना चाहिए क्योंकि यह अभी भी क़ानून की किताब में मौजूद है और पीएमएलए के तहत एक अभियुक्त द्वारा आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आज भी क्षेत्र रखता है। आगे यह तर्क दिया गया कि "इस अधिनियम के तहत" शब्द डालने से निकेश शाह (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय प्रभावी हो गया है। अदालत ने माना कि निकेश शाह (सुप्रा) मामले में शीर्ष अदालत ने पीएमएलए की धारा 45(1) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जहां तक यह जमानत पर रिहाई के लिए दो और शर्तें लगाती है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है। पीएमएलए की धारा 45 (1) में संशोधन को प्रभावी करने के बाद। "इस अधिनियम के तहत" शब्द पीएमएलए की धारा 45 की उप-धारा (1) में जोड़े गए हैं। हालाँकि, मूल धारा 45(1)(ii) को संशोधन अधिनियम द्वारा पुनर्जीवित या पुनर्जीवित नहीं किया गया है। यहां तक कि पीएमएलए की धारा 45(1) में संशोधन करने वाली दिनांक 29.03.2018 की अधिसूचना, जो 19.04.2018 से लागू हुई, इसकी पूर्वव्यापी प्रयोज्यता के बारे में मौन है। इस तरह,

प्रतिवादी का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। मूल उप-धारा 45 (1) (ii) को न तो संशोधित अधिनियम द्वारा पुनर्जीवित किया गया है और न ही पुनर्जीवित किया गया है और इसलिए जुड़वां शर्तों की कोई कठोरता नहीं है। ये फैसला अभी भी मैदान में है. हालांकि यह तर्क दिया गया है कि, फैसले को शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है, लेकिन इसे रद्द नहीं किया गया है और न ही फैसले पर कोई रोक है।"

(21) इसी आशय से साई चन्द्रशेखर बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियाँ हैं:

"17. निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ (2018) 11 एससीसी 1 के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित जुड़वां शर्तों को असंवैधानिक माना जा रहा है। वित्त अधिनियम 2018 द्वारा धारा 45 में संशोधन केवल '3 साल के लिए दंडनीय अपराध' शब्द को 'इस अधिनियम के तहत अपराध' के साथ प्रतिस्थापित करने के संबंध में है। उक्त संशोधन पूर्वोक्त निर्णय द्वारा पहले से ही रद्द की गई जुड़वां शर्तों को पुनर्जीवित नहीं करता है।

18. चूंकि पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में जमानत के लिए दोनों शर्तों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है और उन्हें संशोधित अधिनियम द्वारा न तो पुनर्जीवित किया गया है और न ही पुनर्जीवित किया गया है, इसलिए आज तक उक्त दोनों शर्तों में कोई कठोरता नहीं है। याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए पीएमएल अधिनियम की मूल धारा 45(1)(ii) के तहत शर्तें। सीआरपीसी की धारा 439 के प्रावधान और उसमें मौजूद शर्तें केवल जमानत देने के लिए याचिकाकर्ता के मामले में लागू होंगी।"

(22) इस मुद्दे को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. में भी इसी तरह से निपटाया गया है। संख्या 34201/2018 डॉ. विनोद भंडारी बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, 29.08.2018 को फैसला सुनाया और 2019 के आपराधिक विविध संख्या 41413-अहिल्या देवी बनाम बिहार राज्य और अन्य में पटना उच्च न्यायालय ने 28.05 को फैसला सुनाया। .2020.

(23) उपरोक्त चर्चा के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पूर्वोक्त संदर्भित निर्णयों में दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें से किसी के भी संचालन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक नहीं लगाई गई है और

2021एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 1081

जिससे यह न्यायालय सहमत है, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज की तारीख में जमानत देने की जुड़वां शर्तें, जैसा कि विद्वान एएसजी द्वारा दबाव डालने की मांग की गई है, को नजरअंदाज किया जा सकता है और वर्तमान याचिकाओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। धारा 439 सीआरपीसी के तहत

(24) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 420 वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं थी, जबकि विद्वान एएसजी ने अन्यथा तर्क दिया। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की लंबी और विस्तृत दलीलों का इस फैसले के पहले भाग में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

(25) हरियाणा पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर 291 दिनांक 13.12.2018 में दायर पूरक आरोप पत्र में 1975 अधिनियम की धारा 10 और आईपीसी की धारा 420 के तहत पुलिस स्टेशन बजघेरा, जिला गुरुग्राम में दर्ज किया गया है, याचिकाकर्ताओं पर दोनों धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई है। 420 आईपीसी और 1975 अधिनियम की धारा 10 भी। ईडी द्वारा दायर शिकायत में याचिकाकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी करने और बेईमानी से काम करने के संबंध में विशिष्ट आरोप भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा हरियाणा पुलिस द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र या ईडी द्वारा दायर शिकायत को कोई चुनौती नहीं है। इसलिए, दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए वजनदार दावे/प्रतिदावे। जिसमें वर्तमान कार्यवाहियों के लिए आईपीसी की धारा 420 की प्रयोज्यता के संबंध में इस विषय पर दस्तावेजों और लागू कानून का विस्तृत संदर्भ शामिल है, इस संबंध में या परीक्षण द्वारा की जाने वाली किसी विशिष्ट चुनौती, यदि कोई हो, पर विचार करना बेहतर है। उचित चरण में न्यायालय. वर्तमान मामले के तथ्यों में, इस स्तर पर, यह न्यायालय इस महत्वपूर्ण पहलू पर एक लघु सुनवाई आयोजित करने के लिए इच्छुक नहीं है, खासकर जब इस तरह के विचार और उसके बाद के किसी भी निष्कर्ष से किसी भी पक्ष के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(26) पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने के बाद और विशेष रूप से धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक रिपोर्ट के बाद से मामले में जांच पूरी हो गई है। साथ ही सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत एक पूरक रिपोर्ट भी। हरियाणा पुलिस द्वारा और ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 44/45 के तहत शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है; दोनों याचिकाकर्ता 16.02.2021 से हिरासत में हैं; सभी प्रासंगिक दस्तावेज जिनके आधार पर अभियोजन याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा चलाना चाहता है, वे याचिकाकर्ताओं के विभिन्न परिसरों पर ईडी द्वारा किए गए 16 छापों के दौरान पहले ही जब्त कर लिए गए हैं; सीआरएम-एम-12901-2021 में याचिकाकर्ता 11 बार जांच में शामिल हुआ है जबकि सीआरएम-एम-12459-2021 में याचिकाकर्ता 13 मौकों पर जांच में शामिल हुआ है; दोनों के गुण

याचिकाकर्ताओं, उनके द्वारा कथित धन शोधन की सीमा तक। पहले से ही जुड़ा हुआ है; दोनों याचिकाकर्ता क्रमशः 61 और 75 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, वर्तमान में इस देश में कोविड-19 के तहत संक्रमित मामलों में वृद्धि के कारण जेलों में भीड़भाड़ कम करने की एक आपातकालीन स्थिति है और याचिकाकर्ता को सीआरएम-एम- 12459-2021 में रखा गया है। वर्ष 2008 में उनके हृदय की अवरुद्ध धमनियों में दो स्टेंट लगाए गए थे और आज तक नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि, ट्रायल कोर्ट/इलाका मजिस्ट्रेट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम की संतुष्टि के अधीन, जो इसमें याचिकाकर्ताओं के पासपोर्ट जमा करना और भारी स्थानीय ज़मानत जमा करना शामिल है, याचिकाकर्ताओं को नियमित जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

(27) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त टिप्पणियाँ केवल नियमित जमानत के लिए वर्तमान याचिकाओं पर निर्णय लेने के सीमित उद्देश्य के लिए की गई हैं और इसे मामले की योग्यता पर राय की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा।

(28) इस आदेश की एक फोटोकॉपी अन्य संबंधित मामले की फाइल पर लगाई जाए।

ऋतंभरा ऋषि

राजपाल सिंह
अनुवादक

अस्वीकरणः– स्थानिय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सका है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।